Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांचौर, जिला – जालोर

प्रार्थी / प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी / अप्रार्थीगण
राजुराम पुत्र पुनमाराम जाति विश्नोई निवासी डेडवा खुर्द तहसील सांचौर जिला जालोर ।		पुनमाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी डेडवा खुर्द तहसील सांचौर जिला जालोर।

किस्म मुकदमात :– अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी सपठीत धारा 151 सीपीसी

मुकदमा नं.– ...... / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
09.09.2025	प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **आदेश 9 नियम 4 सीपीसी** प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.09.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) सांचौर	
17.09.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद सं. 56/2020 को रेस्टोर करने हेतु सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वाद नं. 56/2020 की तारीख पेशी 27.05.2025 को रखी गई थी। हस्तगत मुकदमे में मुझ प्रार्थी के अधिवक्ता [illegible] अदालत होना था। परन्तु मुझ प्रार्थी के अधिवक्ता सिविल न्यायालय के अन्य (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.12.09 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] जारी हुए।
	प्रकरण में व्यस्त होने से हाजिर नहीं हो सके। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी खारीज किया गया। हस्तगत प्रकरण के खारीज होने की जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र बाबत वाद का रेस्टोर करने का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। अत: श्रीमान से निवेदन कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मूल पत्रावली को रेस्टोर करने का आदेश फरमावे। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया हुआ था। अधिवक्ता का यह नैतिक दायित्वय है कि वो प्रकरण में प्रगति से अपने पक्षकार को अवगत करावें। अधिवक्ता द्वारा निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होना, केवल इस आधार पर प्रार्थी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अत: प्रार्थना बाबत वाद को रेस्टोर बाबत स्वीकार किया जाकर मूल वाद 56/20[illegible] राजाराम [illegible] को पुन: उसी नंबर पर लिये [illegible] आदेश दिये जाते है। [illegible] आगामी पेशी पर मूल वाद 56/2020 [illegible] सुनवाई हेतु 06.10.2025 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

Sd/-
सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Ku[illegible]
Date: 2025.12.09 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested